



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या :- 834-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/17-27-अ0प्र0-07/14

दिनांक 12.04.2017

कार्यालय ज्ञाप

विज्ञापन सं0-03/विसेआ/2013 के माध्यम से चयनित हुए अधोअंकित सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वैद्युत एवं यांत्रिक) की नियुक्ति कारपोरेशन पत्र सं0-3472-अ0प्र0-07/पाकालि/14-11-अ0प्र0-07/12, दिनांक 14.07.2014 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है, की निर्धारित ऑन-जॉब प्रशिक्षण एवं आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त का विनियमितीकरण करते हुए उनको कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न एवं अस्थायी सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर उपरोक्त सन्दर्भित नियुक्ति पत्र में वर्णित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है एवं उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में इंगित इकाई/डिस्कॉम में तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम/पिता का नाम/ जन्मतिथि/गृह जनपद/श्रेणी	अनुक्रमांक	सहा0अभि0 (प्रशिक्षु) (वै0 एवं यां0) के पद पर वर्तमान तैनाती इकाई/ डिस्कॉम	आवंटित अभिज्ञान संख्या	नव तैनाती इकाई/ डिस्कॉम
1	2	3	4	5	6
1	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह/श्री दामोदर सिंह पटेल 18.10.1988/बलिया/अ0पि0व0	1407443	पूर्वांचल	2016133	पूर्वांचल

- उक्त सहायक अभियन्ता पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा भविष्य में समय समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम एवं आदेश लागू होंगे।
- उक्त सहायक अभियन्ता पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में वर्तमान में प्रभावी अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ) 2004 एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान लागू होंगे।
- उक्त नियुक्ति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के सन्तोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई हैं। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- यह नियुक्ति अस्थायी हैं और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के संगत नियमों के अनुरूप अनु0जाति/अनु0 जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।
- उपरोक्तानुसार सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक यात्रा अवधि एवं सामान्य यात्रा भत्ता ही देय होगा एवं कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

24

प्रबन्ध निदेशक

संख्या:-834(1)-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2 प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 3 महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- 4 मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटराइजेशन इकाई उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5 लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6 उप सचिव (03/04) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7 अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407 उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8 सम्बन्धित सहायक अभियन्ता।
- 9 वैयक्तिक पत्रावली।
- 10 कट फाइल/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(इन्द्रमणि)

उप सचिव

